


शुद्धि पत्र

पुलिस हस्तक नियम-778(iii) में निहित प्रावधान के आलोक में सेवा निवृत्ति निकटता के आधार पर पुलिस पदाधिकारियों/कर्मियों से प्राप्त अभ्यावेदनों/अनुशंसा पर केन्द्रीय स्थापना समिति की दिनांक-03.06.2020 को आहूत बैठक के आलोक में पुलिस मुख्यालय के आदेश सह पठित ज्ञापांक-930/पी0-2 दिनांक-10.06.2020 द्वारा पु0अ0नि0, बिरेन्द्र तिवारी, औरंगाबाद जिलाबल का स्थानान्तरण उनके गृह जिला अर्थात बक्सर जिलाबल कर दिया गया है। इसी क्रम में सूचना प्राप्त हुयी है कि पु0अ0नि0, बिरेन्द्र तिवारी की मृत्यु हो गयी है।

अतः उक्त आदेश के क्रमांक-121 पर अंकित पु0अ0नि0, बिरेन्द्र तिवारी, औरंगाबाद जिलाबल का मृत्यु होने की सूचना प्राप्त होने के कारण सेवा निवृत्ति निकटता के आधार पर बक्सर जिलाबल में किये गये स्थानान्तरण को रद्द किया जाता है।

उक्त आदेश की शेष शर्तें यथावत रहेगी।



पुलिस उप-महानिरीक्षक (कार्मिक),
बिहार, पटना

ज्ञाप संख्या- /पी0-2/07-06-02-2019/ 1001
बिहार पुलिस मुख्यालय
(कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग)

पटना, दिनांक 12.06.2020

प्रतिलिपि:-

1. पुलिस महानिरीक्षक, मगध क्षेत्र, गया को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. पुलिस उप-महानिरीक्षक, शाहाबाद क्षेत्र, डिहरी को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. पुलिस अधीक्षक, औरंगाबाद/बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. आई0टी0 मैनेजर, पुलिस मुख्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


पुलिस उप-महानिरीक्षक (कार्मिक),
बिहार, पटना